

**बिहार सरकार**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

**(भू-अर्जन निदेशालय)**

**अधिघोषणा**

एस0 ओ0: .....

/रा0, दिनांक .....

चूँकि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम सौँढ़ थाना नं0-347 परगना-फरकिया, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया में मौजा-सौँढ़, थाना नं0-347, गोगरी नारायणपुर तटबंध रिटायर्ड बांध हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के पूर्व ग्राम सौँढ़ थाना नं0-347 के भीतर कामोवेस बीघाXकट्टाXछटांकXधूर का, जो मानक से 1.14 एकड़ के बराबर होता है। एक भूखण्ड अपेक्षित है। जिसमें 1.14 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है। X एकड़ बंजर भूमि है। जिसका खेसरा सं0-2246, 2247, 2578, एवं 2581 का अंश है।

इस भूखण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है।

**खण्ड 'ए'**

उत्तर - खेसरा सं0 2581 का अंश।  
दक्षिण - खेसरा सं0 2581 का अंश।  
पूरब - खेसरा सं0 2577 एवं 2578 का अंश।  
पश्चिम - खेसरा सं0 3992 का अंश।

**खण्ड 'बी'**

उत्तर - खेसरा सं0 2577 का अंश।  
दक्षिण - खेसरा सं0 2578 का अंश।  
पूरब - खेसरा सं0 2576 का अंश।  
पश्चिम - खेसरा सं0 2577 एवं 2581 का अंश।

**खण्ड 'सी'**

उत्तर - खेसरा सं0 2247 एवं 2241 का अंश।  
दक्षिण - खेसरा सं0 2241 एवं 2247 का अंश।  
पूरब - खेसरा से 2144 एवं 2576 का अंश।  
पश्चिम - सर्वे सड़क खेसरा सं0 2574 का अंश एवं खेसरा सं0 2247 का अंश।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खदान की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है। उनके निर्माण के लिए खोदना, हॉटना, या उपयोग में लाना हो ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1 1894 की धारा 6 तथा भूमि अर्जन (बिहार संशोधन अधिनियम 1960) बिहार अधिनियम 11 1961 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भूमि-अर्जन पदाधिकारी खगड़िया के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16.12.17  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
खगड़िया।

अपर समाहर्ता,  
खगड़िया।

समाहर्ता,  
खगड़िया।

806 कृ०पृ०उ०  
सरकार के अवर सचिव

सं-14/डी0एल0ए0 खगड़िया (बाँध)-46/13-26.14/रा0, पटना-15 दि0-14/11/2013

ज्ञापांक ...../रा0, दिनांक .....

प्रतिलिपि:- 1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संसकरण प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 2. प्रभारी उपसमाहर्ता जिला गजट खगड़िया को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पाँच-पाँच प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/अपर समाहर्ता एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/13  
सरकार के अवर सचिव  
